<u>न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर</u>

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 109 / 2019

1 गिरधारीलाल पुत्र भगवानाराम।
2 श्रीमती कमला देवी पत्नी रामदेवाराम।
3 रामचन्द्र पुत्र भगवानाराम।
4 हनुमानाराम पुत्र किशनाराम।
5 बीरबल पुत्र किशनाराम।
6 नोरंगलाल पुत्र किशनाराम समस्त जाति अहीर निवासीगण गोठड़ा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 राजेन्द्र सिंह पुत्र धूड़सिंह।
2 अलका कंवर पत्नी सतीश सिंह।
3 करण सिंह पुत्र सतीश सिंह।
4 श्वेता पुत्री सतीश सिंह।
5 विजेता पुत्री सतीश सिंह।
6 ऊषा कुमारी पुत्री धूडसिंह।
7 जबलबाई पुत्री धूडसिंह।
8 रामसिंह पुत्र धूडसिंह।
9 रघुनाथ सिंह पुत्र धूडसिंह।
10 रमेश सिंह पुत्र धूडसिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण झाझड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
11 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
* सीकर *

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिकी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ दिनांक 05.11.2019 उनवानी दावा गिरधारीलाल आदि बनाम राजेन्द्र सिंह दावा बाबत घोषणार्थ दुरूस्ती रिकार्ड मुकदमा नम्बर 177/2019

उपस्थिति :

1. श्री हरिप्रसाद सैनी, अधिवक्ता अपीलांट

—निर्णय—

दिनांक:— 24.01.2022

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 177/2019 में पारित निर्णय दिनांक 05.11.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी अपीलांट ने विचारण न्यायालय में भूमि खसरा नम्बर 474,475 वाके ग्राम झाझड़ बाबत घोषणा व दुरूस्ती रिकर्ड का वाद प्रस्तुत किया विचारण न्यायालय में रेस्पोडेंट संख्या 01 ने इकबाली जवाब प्रस्तुत किया। शेष रेस्पोडेंट के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि भूमि खसरा नम्बर 133 रकबा 9 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 134 रकबा 3

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर * सत्यमेव जयते

बिस्वा, खसरा नम्बर 135 रकबा 71 बीघा 8 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 81 बीघा 9 बिस्वा धूड़सिंह पुत्र जयसिंह की खातेदारी की थी। जिसकी मृत्यु के पश्चात उनके पांच पुत्र राजेन्द्र सिंह, रघुनाथ सिंह, सतीश कुमार सिंह, रमेश सिंहव रामसिंह काश्त करने लगे और उन्होने आपस में मिलकर भूमि का विभाजन कर लिया जिससे प्रत्येक का 1/5 व 1/5 हिस्सा अलग–अलग कायम किया गया। जिसे अपीलांट्स ने अपने वाद पत्र में स्पष्ट रूप से अंकित किया है तथा भूमि खसरा नम्बर 135/5 रकबा 16 बीघा 5 बिस्वा खसरा नम्बर 134 रकबा 3 बिस्वा कुल रकबा 16 बीघा 8 बिस्वा रेस्पोडेंट नम्बर 1 राजेन्द्र सिंह के नाम दर्ज हुई उक्त खसरा नम्बर के नये खसरा नम्बर 474, रकबा 0.0100 व खसरा नम्बर 475 रकबा 4.1300 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 4.1400 हैक्टेयर बने है तथा रिकार्ड के अनुसार भी यदि बीघा/बिस्वा से भूमि को हैक्टेयर में परिवर्तन किया जावे तो रेस्पोडेंट संख्या 1 की भूमि 16 बीघा 8 बिस्वा की भूमि हैक्टेयर के अनुसार 4.1400 हैक्टेयर ही बनती है। विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय पैरा में विवेचना की है जमाबंदी संवत 2067–2070 नया खाता संख्या 542 में अंकित नोटनुसार नामान्तरण संख्या 1874 निर्णय दिनांक 20.12.2011 से राजेन्द्र सिंह पुत्र धूड़सिंह ने भूमि राजस्थान ग्रामीण बैंक झाझड़ के रहन रही थी इस प्रकार स्पष्ट है कि राजेन्द्र सिंह पुत्र धूड़सिंह को इस रिकार्ड की जानकारी वर्ष 2011 में ही थी। यहां यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि रेस्पोडेंट नम्बर 01 राजेन्द्र सिंह ने दिनांक 20.11.2011 को भूमि राजस्थान ग्रामीण बैंक झाझड़ के यहां रहन रखकर ऋण प्राप्त किया था उक्त ऋण 4.1400 हैक्टेयर पर ही स्वीकृत किया गया था तथा दिनांक 16.01.2019 को जब रेस्पोडेंट नम्बर 01 ने ऋण जमा कराकर बैंक से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया था उस प्रमाण पत्र में भी भूमि 4.1400 हैक्टेयर ही अंकित किया गया है। जिससे यह कयास नही लगाया जा सकता है कि उक्त तथ्य की जानकारी राजेन्द्र सिंह पुत्र धूड़सिंह को 20.12.2011 को हो चुकी थी। साथ ही दुरूस्ती रिकार्ड के दावे में कोई मियाद निर्धारित नही की गयी है। ऐसा दावा सम्बंधित खातेदार काश्तकार कभी भी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
* सीकर *

प्रस्तुत कर सकता है। विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 05.11.2019 में विवेचना की है कि अपीलांट व रेस्पोडेंट नम्बर 01 को रिकार्ड की जानकारी नहीं है स्वीकार्य नहीं है। फिर भी रिकार्ड दुरूस्ती की आवश्यकता थी तो मूल खातेदार राजेन्द्र सिंह द्वारा कार्यवाही की जाती केतागण को पुराने रिकार्ड के आधार पर घोषणार्थ दुरूस्ती रिकार्ड का दावा लाने का अधिकार नहीं है। कानूनन दुरूस्ती रिकार्ड का दावा कोई भी व्यक्ति पक्षकार रिकार्ड की जानकारी होने पर दावा लाने के लिए स्वतंत्र है। इसमें केतागण /अपीलांट द्वारा दावा प्रस्तुत करने में कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। वर्तमान प्रकरण में तो जानकारी अपीलांट/केतागण व विकेता/रेस्पोडेंट नम्बर 01 राजेन्द्र सिंह को विकय पत्र दिनांक 16.01.2019 को पंजीबद्व करवाने के पश्चात भू अभिलेख विभाग मुख्यालय झुंझुनू से रिकार्ड वापिस आने पर उपरोक्त गलत रिकार्ड के विषय में जानकारी हुई थी। जिसके आधार पर दावा प्रस्तुत किया गया तथा रेस्पोडेंट नम्बर 01 ने इकबालिया जवाब देकर दावा डिकी करने हेतु सहमती प्रदान की थी फिर भी विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट का दावा खारिज करने में विधिक भूल की है। अत अपील स्वीकार कर वाद वादी डिकी किया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि भूमि खसरा नम्बर 133 रकबा 9 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 134 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 135 रकबा 71 बीघा 8 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 81 बीघा 9 बिस्वा धूड़सिंह पुत्र जयसिंह की खातेदारी की थी। जिसकी मृत्यु के पश्चात उनके पांच पुत्र राजेन्द्र सिंह, रघुनाथ सिंह, सतीश कुमार सिंह, रमेश सिंहव रामसिंह काश्त करने लगे और उन्होने आपस में मिलकर भूमि का विभाजन कर लिया जिससे प्रत्येक का 1/5 व 1/5 हिस्सा अलग–अलग कायम किया गया। जिसे अपीलांट्स ने अपने वाद पत्र में स्पष्ट रूप से अंकित किया है तथा भूमि खसरा नम्बर 135/5 रकबा 16 बीघा 5 बिस्वा खसरा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

नम्बर 134 रकबा 3 बिस्वा कुल रकबा 16 बीघा 8 बिस्वा रेस्पोडेंट नम्बर 1 राजेन्द्र सिंह के नाम दर्ज हुई उक्त ख़सरा नम्बर के नये खसरा नम्बर 474, रकबा 0.0100 व खसरा नम्बर 475 रकबा 4.1300 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 4.1400 हैक्टेयर बने है तथा रिकार्ड के अनुसार भी यदि बीघा/बिस्वा से भूमि को हैक्टेयर में परिवर्तन किया जावे तो रेस्पोडेंट संख्या 1 की भूमि 16 बीघा 8 बिस्वा की भूमि हैक्टेयर के अनुसार 4.1400 हैक्टेयर ही बनती है। विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर कोई विवेचन किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि की है।

यहां यह भी विचारणीय है कि विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय में विवेचन किया है कि जमाबंदी संवत 2067–2070 नया खाता संख्या 542 में अंकित नोटनुसार नामान्तरण संख्या 1874 निर्णय दिनांक 20.12.2011 से राजेन्द्र सिंह पुत्र धूड़सिंह ने भूमि राजस्थान ग्रामीण बैंक झाझड़ के रहन रही थी इस प्रकार स्पष्ट है कि राजेन्द्र सिंह पुत्र धूड़सिंह को इस रिकार्ड की जानकारी वर्ष 2011 में ही थी। यहां यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि रेस्पोडेंट नम्बर 01 राजेन्द्र सिंह ने दिनांक 20.11.2011 को भूमि राजस्थान ग्रामीण बैंक झाझड़ के यहां रहन रखकर ऋण प्राप्त किया था उक्त ऋण 4. 1400 हैक्टेयर पर ही स्वीकृत किया गया था तथा दिनांक 16.01.2019 को जब रेस्पोडेंट नम्बर 01 ने ऋण जमा कराकर बैंक से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया था उस प्रमाण पत्र में भी भूमि 4.1400 हैक्टेयर ही अंकित किया गया है। जिससे यह कयास नही लगाया जा सकता है कि उक्त तथ्य की जानकारी राजेन्द्र सिंह पुत्र धूड़सिंह को 20.12.2011 को हो चुकी थी। साथ ही दुरूस्ती रिकार्ड के दावे में कोई मियाद निर्धारित नही की गयी है। ऐसा दावा सम्बंधित खातेदार काश्तकार कभी भी प्रस्तुत कर सकता है। विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 05.11.2019 में विवेचना की है कि अपीलांट व रेस्पोडेंट नम्बर 01 को रिकार्ड की जानकारी नहीं है स्वीकार्य नहीं है। फिर भी रिकार्ड दुरूस्ती की आवश्यकता थी तो मूल खातेदार राजेन्द्र सिंह द्वारा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

कार्यवाही की जाती केतागण को पुराने रिकार्ड के आधार पर घोषणार्थ दुरूस्ती रिकार्ड का दावा लाने का अधिकार नहीं है। कानूनन दुरूस्ती रिकार्ड का दावा कोई भी व्यक्ति पक्षकार रिकार्ड की जानकारी होने पर दावा लाने के लिए स्वतंत्र है। इसमें केतागण /अपीलांट द्वारा दावा प्रस्तुत करने में कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। वर्तमान प्रकरण में तो जानकारी अपीलांट/केतागण व विक्रेता/रेस्पोडेंट नम्बर 01 राजेन्द्र सिंह को विक्रय पत्र दिनांक 16.01.2019 को पंजीबद्व करवाने के पश्चात भू अभिलेख विभाग मुख्यालय झुंझुनू से रिकार्ड वापिस आने पर उपरोक्त गलत रिकार्ड के विषय में जानकारी हुई थी। जिसके आधार पर दावा प्रस्तुत किया गया तथा रेस्पोडेंट नम्बर 01 ने इकबालिया जवाब देकर दावा डिक्री करने हेतु सहमती प्रदान की थी फिर भी विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट का दावा खारिज करने में विधिक भूल की है। पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड में दर्ज गत एवं हाल रकबे का गुणनफल करने पर वाद वादी साबित पाया जाता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाता है एवं वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादीगण को भूमि खसरा नम्बर 474 रकबा 0.0100 व खसरा नम्बर 475 रकबा 4.1300 कुल खसरा नम्बर 02 कुल रकबा 4.14 हैक्टेयर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। खसरा नम्बर 474 व 475 में प्रतिवादीगण संख्या 2 से 10 का नाम हजफ कर इनके स्थान पर वादीगण का नाम रिकार्ड पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24.01.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

डिकी व सिगे अपील
आर्डर 41रूल 35 जाब्ता दीवानी
Civil Procedure Code Appendix "G"9
अज अदालत राजस्व अपील अधिकारी सीकर
बइजलास श्री राजवीर सिंह चौधरी आर.ए.एस

1 गिरधारीलाल पुत्र भगवानाराम।
2 श्रीमती कमला देवी पत्नी रामदेवाराम।
3 रामचन्द्र पुत्र भगवानाराम।
4 हनुमानाराम पुत्र किशनाराम।
5 बीरबल पुत्र किशनाराम।
6 नोरंगलाल पुत्र किशनाराम समस्त जाति अहीर निवासीगण गोठड़ा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 राजेन्द्र सिंह पुत्र धूड़सिंह।
2 अलका कंवर पत्नी सतीश सिंह।
3 करण सिंह पुत्र सतीश सिंह।
4 श्वेता पुत्री सतीश सिंह।
5 विजेता पुत्री सतीश सिंह।
6 ऊषा कुमारी पुत्री धूडसिंह।
7 जबलबाई पुत्री धूडसिंह।
8 रामसिंह पुत्र धूडसिंह।
9 रघुनाथ सिंह पुत्र धूडसिंह।
10 रमेश सिंह पुत्र धूडसिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण झाझड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
11 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर * सत्यमेव जयते

नियमित अपील संख्या 109/2019 विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 05.11.2019 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ बाबत रेवेन्यू दावा संख्या 177/2019 उनवानी गिरधारी बनाम राजेन्द्र सिंह वगैरह।

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री राजवीर सिंह चौधरी आर.ए.एस. बहाजरी श्री हरिप्रसाद सैनी वास्ते अपीलांट।

हुक्म दिया जाता है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाता है एवं वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादीगण को भूमि खसरा नम्बर 474 रकबा 0.0100 व खसरा नम्बर 475 रकबा 4. 1300 कुल खसरा नम्बर 02 कुल रकबा 4.14 हैक्टेयर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। खसरा नम्बर 474 व 475 में प्रतिवादीगण संख्या 2 से 10 का नाम हजफ कर इनके स्थान पर वादीगण का नाम रिकार्ड पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें।

डिक्री आज दिनांक 24.01.2022 को जारी की गई।

हस्ताक्षर
मोहर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

नियमित अपीलकार	रूपया	पैसे	गैरनियमित अपीलकार	रूपया	पैसे
स्टाम्प नियमित अपील		00	स्टाम्प कोस अपील		00
स्टाम्प वकालतनामा		00	स्टाम्प वकालतनामा		00
नियमित अपील हुकमनामा		00	नियमित अपील हुकमनामा		00
वकील फीस बाबत		00	मेहनताना अपील		00
मीजान			मीजान		

हस्ताक्षर
मोहर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर